[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 30 /2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को नियुक्त करता है तथा उन्हें उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करता है तथा इन शक्तियों का प्रयोग इन अधिकारियों द्वारा इनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में 15 अक्तूबर, 2014 से उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, अर्थात-

तालिका

(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रधान मुख्य आयुक्त, लेखा परीक्षा अथवा मुख्य आयुक्त, लेखा परीक्षा	मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	लेखा परीक्षा और कारण बताओ नोटिस जारी करना
2	प्रधान आयुक्त, लेखा परीक्षा अथवा आयुक्त, लेखा परीक्षा	आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव
3	अपर आयुक्त, लेखा परीक्षा	अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव
4	संयुक्त आयुक्त, लेखा परीक्षा	संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव
5	उपायुक्त लेखा परीक्षा	उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव
6	सहायक आयुक्त, लेखा परीक्षा	सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव
7	अधीक्षक, लेखा परीक्षा	अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव
8.	निरीक्षक, लेखा परीक्षा	निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तदैव

(पंकज जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

फा.सं. 206/03/2014, सीएक्स-6